Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर**

सरजीत नाथ पुत्र उदमीनाथ जाति नाथ निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़

बनाम

सरदाराराम पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ़ आदि

किस्म मुकदमाः–शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कॉलोएक्ट, एवं धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

प्रकरण सं.–76/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए |
|---|---|---|

04.04.2023

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामप्रताप तिवाडी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 आज दिनांक उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सुथार व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से जैर प्रकरण रकबा के संबंध में रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्रांक राजस्व/2023/04 दिनांक 03.01.2023 द्वारा प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम ताखरांवाली के खसरा नम्बर 247/14 में 6.325 है0 बारानी भूमि टीसी पर आवंटन हुई थी। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त आवंटन केवल पेपर आवंटन है। अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना कब्जा काश्त के ही उक्त भूमि की खातेदारी भी करवा ली तथा उक्त भूमि आगे अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान कर भी कर दी है। अप्रार्थी संख्या 02 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थी की सुधारी हुई भूमि खसरा न. 247/14 में तरमीम करवा ली है। जबकि उक्त रकबा पर मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अब अप्रार्थी संख्या 02 उक्त तरमीम के आधार पर मुझ प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि पर कब्जा जमाने की फिराक में है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार ग्राम ताखरांवाली के खसरा न. 247/14 की 6.325 है0 भूमि जो पूर्व में अप्रार्थी संख्या 01 सरदाराराम के नाम थी अब अप्रार्थीया संख्या 2 प्रियंका के नाम दर्ज है उक्त भूमि बाद जांच तारमीम, खातेदारी व आवंटन खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रोही ताखरांवाली के खसरा न. 247/14 में 6.325 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को टीसी पर आवंटन थी जिस पर आवंटन की दिनांक से अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त था। कब्जा काश्त की पूर्ण जांच उपरात ही पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए उक्त टीसी आवंटित रकबा के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 को दिये गये। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त रकबा जरिये बैयनामा मुझ अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान कर दिया। रकबा खरीद की दिनांक से ही अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा काश्त है। अब राजस्व रिकार्ड में जैर अपील रकबा मुझ अप्रार्थी संख्या 02 के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 03 पैरोकार राज ने दौरान बहस रिपोर्ट दिनांक 03.01.2023 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रोही ताखंरावाली के खसरा न. 14/4 की 25.00 बीघा भूमि तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा सरदाराराम पुत्र लेखराम को टीसी आवंटन की गई थी। जिसका मुताबिक गिरदावरी पेंसिली अंकन दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबंदी में जरिये बैयनामा प्रियंका पुत्री शेराराम पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा न. 14/4 से नया तरमीम कर खसरा न. 247/14 जिस पर प्रियंका काबिज है। पैरोकार राज ने राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया । प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जेर प्रार्थना पत्र भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जैर प्रार्थना पत्र भूमि पर प्रार्थी का स्वयं का कब्जा काश्त है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त आवंटन खारिज किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्जावेजों का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि सरदाराराम पुत्र लेखराम जाति को ग्राम ताखरांवाली तहसील सूरतगढ़ खसरा न. 14/4 में 25.00 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आवंटन हुई। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जैर प्रकरण भूमि पर जिसका वर्तमान खसरा रोही ताखरांवाली के खसरा न. 247/14 [illegible] पूर्व [illegible] आवंटित एवं वर्तमान में भूमि कयकर्ता, जो राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित [illegible] का काश्त है जो तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 03.01.[illegible] से [illegible] है। प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेजात पेश नहीं किये है जिससे जैर प्रार्थना [illegible] भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त साबित हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से [illegible] किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सू[illegible] को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar

Date: 2023.06.13 11:14:07 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner